क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-36, अंक - 21 | नवंबर 1-15, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-6

एक पैशाचिक अपराध की 38वीं बरसी पर :

1984 के जनसंहार के सबक

1984 में हुए सिखों के भीषण जनसंहार की 38वीं बरसी 1 नवंबर को है। तीन दिनों तक, बड़े सुनियोजित तरीक़े से जनसंहार किया गया था जिसमें, उस समय केंद्र सरकार में बैठी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं ने उन हमलों की अगुवाई की थी। दिल्ली, कानपुर, बोकारो और कई अन्य शहरों की सड़कें बेरहमी से मारे गए सिखों की लाशों से भर गई थीं। यह अनुमान लगाया गया है कि उन तीन दिनों में 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। (बॉक्स देखें)

अंतरिम प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास पीड़ितों के लिए सहानुभूति के कोई शब्द नहीं थे। उन्होंने जनसंहार की बिलकुल भी निंदा नहीं की। इसके विपरीत, उन्होंने जनसंहार को यह कहकर उचित ठहराया कि "जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिल जाती है"। इस तरह, सिखों के जनसंहार को 'प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की प्रतिक्रिया' बताकर उसे जायज़ ठहराया गया था। साथ ही साथ, जनसंहार के पीछे कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार के हाथ को छुपाया गया था और अपराध के लिए लोगों को दोषी ठहराया गया था।

पिछले 38 वर्षों से, जो भी सरकार आई है वह इसी झूठ को दोहराती रही है कि 1 से 3 नवंबर 1984 के दौरान जो घटनाएं हुयी थीं, वे "सिख-विरोधी दंगे" थे। "दंगा" शब्द का मतलब है लोगों का स्वतः स्फूर्त भड़क जाना। दूसरे शब्दों में, उस जनसंहार के लिए हिन्दोस्तान के लोगों को दोषी ठहराया जाता है।

कांग्रेस पार्टी और उस समय सत्ता के प्रमुख पदों पर बैठे हुए अधिकारियों ने इस जनसंहार को अंजाम दिया था, लेकिन जनसंहार को सम्पूर्ण हुक्मरान वर्ग के हितों के लिए आयोजित किया गया था। हुक्मरान वर्ग ने अपने बीच के आपसी अंतर्विरोधों को हल करने और मज़दूर वर्ग व मेहनतकश जनता की एकता को तोड़ने के लिए जनसंहार का आयोजन किया था।

सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। लोग अपने सिख भाइयों को मारने के लिए सड़कों पर उतर नहीं आए थे। बल्कि, हर जगह पर लोगों ने अपने सिख पड़ोसियों की रक्षा करने की पूरी कोशिश की थी।

जनसंहार को उस समय केंद्र सरकार में बैठी कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था और अंजाम दिया गया था। पूरे राज्य तंत्र ने उसे अंजाम देने के लिए सक्रिय रूप से काम किया था।

1 नवंबर की सुबह से ही, सेवानिवृत्त और सम्मानित जनरलों और एयर मार्शलों, न्यायाधीशों और भारतीय विदेश विभाग के अधिकारियों सहित प्रमुख व्यक्तियों, सांसदों, लेखकों और पत्रकारों ने बार-बार तत्कालीन गृहमंत्री से जनसंहार को रोकने के लिए क़दम उठाने का आग्रह किया था, लेकिन उनके आग्रहों का जवाब खामोशी से दिया गया। कोई कार्रवाही नहीं की गई। तीन दिनों और तीन रातों तक पुलिस ने हमलों को चलते रहने दिया और कई जगहों पर पुलिस ने सक्रियता के साथ कातिलाना गुंडों की मदद की।

38 साल से लोग यह मांग कर रहे हैं कि सरकार 1984 के जनसंहार के पीछे की सच्चाई को सामने लाये। लोग मांग कर रहे हैं कि जनसंहार को आयोजित करने वालों को सज़ा दी जाए। लोग जानना चाहते हैं कि जनसंहार से पहले के हफ्तों और महीनों में और उन तीन दिनों और रातों के दौरान, सत्ता के गलियारों में क्या हो रहा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल व गृह मंत्रालय में उस पर क्या चर्चा हुई और खुफिया एजेंसियों की उसमें क्या भूमिका रही?

उसके बाद जो-जो सरकारें बनी हैं, उन्होंने उस घटना पर कई जांच आयोगों का गठन किया है। उन सभी आयोगों ने जनसंहार को आयोजित करने में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और राज्य के विभिन्न अंगों की भूमिका पर पर्दा डालने का काम किया है।

31 अक्तूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के 38

शेष पृष्ठ 3 पर

हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था की स्थिति

महज चार सप्ताह पहले, सितंबर के पहले सप्ताह में सरकार, कॉरपोरेट जगत और मीडिया में इस बात का ख़ास उत्साह था कि हिन्दोस्तान ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस ख़बर ने इस बात पर चर्चा को जन्म दिया कि हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में कैसे बढ़ी है।

निजी पूंजीवादी घरानों के मुनाफ़ों का बढ़ना, अत्याधिक टैक्स की वसूली होना, निर्यातों में बढ़ोतरी तथा कारों, रियल एस्टेट और विदेशों में छुट्टियां मनाने पर अधिक पैसा खर्च किया जाना, इन सबको अर्थव्यवस्था के विकास को मापने का तरीक़ा बताया जा रहा है।

लेकिन अर्थव्यवस्था के तेज़ी से विकास की यह छवि, जो अपने आकार के मामले में दुनिया में पांचवें स्थान पर है। यह करोड़ों हिन्दोस्तानियों की वास्तविकता को नहीं दर्शाती है। अधिकांश लोगों के जीवन के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है।

बेरोज़गारी बढ़ रही है, नौकरियों और आजीविका की असुरक्षा बढ़ रही है। कामकाजी लोगों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार के लिए आवश्यक अन्य चीजों में कटौती करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग, भूख और कुपोषण से जूझ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में किसानों पर बढ़ते क़र्ज़े के कारण, आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है। इस देश की विशाल आबादी के बहुसंख्य लोगों की ये परिस्थितियां, अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में बताई जा रही इस कहानी के पीछे की कड़वी सच्चाई को उजागर करती हैं।

यह कैसे संभव है कि हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, फिर भी मेहनतकश लोगों के एक बड़े हिस्से द्वारा इतने अधिक आर्थिक संकट का अनुभव किया जा रहा है? इसका उत्तर यह है कि अर्थव्यवस्था सबसे बड़े इजारेदार पूंजीपतियों के आकार और मुनाफ़े में तेज़ी से विकास करने में सक्षम बनाने की दिशा में उन्मुख है। अर्थव्यवस्था अधिकांश कामकाजी लोगों की सबसे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने या उनके जीवन स्तर में सुधार करने की दिशा में उन्मुख नहीं है।

अर्थव्यवस्था के विकास और देशभर में बहुसंख्य लोगों की परिस्थितियों के बीच कोई संबंध नहीं है। यह कैसे संभव है कि हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, फिर भी मेहनतकश लोगों के एक बड़े हिस्से द्वारा इतने अधिक आर्थिक संकट का अनुभव किया जा रहा है? इसका उत्तर यह है कि अर्थव्यवस्था सबसे बड़े इजारेदार पूंजीपतियों के आकार और मुनाफ़े में तेज़ी से विकास करने में सक्षम बनाने की दिशा में उन्मुख है। अर्थव्यवस्था अधिकांश कामकाजी लोगों की सबसे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने या उनके जीवन स्तर में सुधार करने की दिशा में उन्मुख नहीं है।

सबसे बड़े इजारेदार पूंजीपतियों का विस्तार हो रहा है, वे और भी बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि वे अन्य कंपनियों को ख़रीदते हैं और विदेशों में अपने संचालन का विस्तार करते हैं। हिन्दोस्तान के कई इजारेदार पूंजीवादी घराने आज दुनिया के सबसे अमीरों में गिने जा रहे हैं।

दूसरी ओर, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं या उन्हें कम मज़दूरी पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही साथ, मज़दूरों के वेतन की बढ़ोतरी में ठहराव आ गया है या वेतन कम हो गये हैं। खाद्य पदार्थों, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती महंगाई के साथ, अधिकांश कामकाजी लोगों की कुल आमदनी और उनकी क्रय शक्ति तेज़ी से घटती जा रही है।

हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था का हालिया अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि जिस विकास की बात की जा रही है वह बहुत ही एकतरफा है। चार पहिया

शेष पृष्ठ 4 पर

अंदर पढ़ें

- कृषि संकट और उसका समाधान विषय पर तीसरी मीटिंग 2
- पाठकों की प्रतिक्रिया 4
- यूरोप में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन 5

“कृषि का संकट और उसका समाधान” विषय पर तीसरी मीटिंग

“भोजन समाज की एक आवश्यक ज़रूरत है, इसलिए जो लोग खाद्य सामग्री का उत्पादन करते हैं उन्हें समाज में सुरक्षित आजीविका की गारंटी मिलनी चाहिए। लेकिन समाज के एक बड़े हिस्से को ज़िन्दा रहने के लिए ज़रूरी भोजन भी नसीब नहीं होता। जो लोग खाद्य सामग्री का उत्पादन करते हैं वे सुरक्षित आजीविका न होने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं, तो समाज के सामने यह एक गहरे संकट का, एक निश्चित संकेत है।” इन शुरुआती शब्दों के साथ मज़दूर एकता कमेटी के सचिव, बिरजू नायक ने 20 अक्तूबर को मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) द्वारा आयोजित तीसरी मीटिंग को संबोधित किया। इस मीटिंग का विषय था “कृषि का संकट और उसका समाधान”।

इस मीटिंग में आमंत्रित अन्य वक्ता थे – ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाईज़ के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड कृष्णा भोयर; ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क के डॉ. दिनेश अबरोल; और सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. बी. सेठ।

बिरजू नायक इस मीटिंग के पहले वक्ता थे। उन्होंने हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट का हवाला देते हुए, इस हक़ीक़त को उजागर किया कि हमारे देश में बहुत से लोग अत्यंत ख़तरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वही व्यवस्था है जो खाद्य सामग्रियों के उत्पादकों, यानी किसानों को एक सुनिश्चित आजीविका प्रदान करने में विफल रही है। उन्होंने कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी सभी वस्तुओं – यानी बीज, उर्वरक, कीटनाशक, आदि पर बढ़ती इजारेदारी नियंत्रण की ओर इशारा करता है और साथ ही साथ किसानों की उपज की अत्याधिक इजारेदारी ख़रीद की ओर भी। अंत में उन्होंने निष्कर्ष के रूप में इसी हक़ीक़त को पेश किया कि पूंजीवादी व्यवस्था ने न तो आम लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है और न ही किसानों के लिए सुरक्षित आजीविका के साधन सुनिश्चित किये हैं।

संकट के समाधान के रूप में, उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया कि वक्त की मांग है कि कृषि सहित पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा को इजारेदार पूंजीपतियों के लिए अधिकतम मुनाफ़े की गारंटी देने के लक्ष्य के बजाय, लोगों के लिए ज़रूरी सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्य की ओर बदल दिया जाना चाहिए। सभी लोगों के लिए सस्ती क़ीमतों पर पर्याप्त और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करनी चाहिए। एक व्यापक योजना के तहत, कृषि उपज के उत्पादन, भंडारण और वितरण को सामाजिक नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। राज्य की ज़िम्मेदारी है कि वह सभी कृषि उत्पादों की लाभकारी क़ीमतों पर सार्वजनिक ख़रीद की गारंटी दे और एक सर्वव्यापी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के ज़रिये लोगों के सभी तबकों में उसका वितरण सुनिश्चित करे।

कॉमरेड कृष्णा भोयर ने मज़दूर एकता कमेटी को एक ऐसा मंच प्रदान करने के लिए बधाई दी, जहां पर एक क्षेत्र के मज़दूरों को दूसरे क्षेत्र के मज़दूरों की समस्याओं और संघर्षों के बारे में पता चलता है। उन्होंने संकट के एक पहलू पर प्रकाश डालते हुए अपने वक्तव्य की शुरुआत की। कृषि हमारे देश के युवाओं को एक सुरक्षित आजीविका प्रदान करने में असमर्थ रही है, जिसके परिणामस्वरूप युवा बड़ी संख्या में नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हुये हैं। यही कारण है कि शहरों में बेरोज़गारी की समस्या और भी बढ़ रही है।

कॉमरेड भोयर ने बताया कि किसान आंदोलन ने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कई प्रस्ताव रखे हैं। स्वामीनाथन आयोग ने भी इस संबंध में कई सिफ़ारिशें की हैं, लेकिन सरकार ने इनमें से किसी पर भी ध्यान देने से इनकार कर दिया है। कॉमरेड भोयर ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य, जहां पर वे रहते हैं, तकनीकी रूप से उन्नत राज्य है, लेकिन यह वह राज्य है जहां किसानों की आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। इसका कारण यह है कि किसान को अपनी उपज की इतनी क़ीमत भी नहीं मिल पाती है कि वह खेती में लगाई गई अपनी लागत की भरपाई कर सके। वह जानलेवा क़र्ज़ में डूबता जाता है। वह नवीनतम कृषि तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और वह श्रम के पुराने हाड़तोड़ तरीक़ों पर ही भरोसा करने के लिए मजबूर है, जिसके कारण इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसकी उपज कम होती है। कॉमरेड भोयर ने बताया कि जहां एक ओर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का क़र्ज़ न चुका पाने वाले पूंजीपतियों के करोड़ों रुपये के क़र्ज़ को नियमित रूप से बट्टे खाते में डाला जा रहा है, वहीं छोटे किसानों की क़र्ज़ माफ़ी के लिए सरकार की कोई व्यापक नीति नहीं है।

किसानों को अपनी उपज के विपणन, परिवहन और भंडारण के लिए और लाभकारी क़ीमतों पर सुनिश्चित सार्वजनिक ख़रीद के लिए, राज्य द्वारा सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। किसान आंदोलन लोगों की एकता और दृढ़ संकल्प का एक स्फूर्तिदायक उदाहरण था, जिसने सरकार को किसान–विरोधी क़ानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया। इसी तरह किसानों के एकजुट संघर्ष ने सरकार को भूमि अधिग्रहण अधिनियम को लागू करने से रोक दिया, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि के कॉर्पोरेट–अधिग्रहण को सक्षम बनाना था।

कॉमरेड भोयर ने बिजली संशोधन विधेयक के ख़िलाफ़ बिजली मज़दूरों के संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पूरी तरह से किसानों और उपभोक्ताओं के हितों के ख़िलाफ़ है। सरकार लोगों से झूठ बोल रही है कि इससे उपभोक्ताओं को बेहतर और सस्ती बिजली की आपूर्ति होगी। एक बार इजारेदार पूंजीपतियों का बिजली वितरण पर नियंत्रण हो गया, वे अधिकतम मुनाफ़े हासिल करने के लिए जो भी दर चाहते हैं, वही दर वसूल करेंगे और उपभोक्ता इस पर कुछ भी कर पाने में असमर्थ होंगे। कई राज्यों में किसान सिंचाई पर निर्भर हैं। कॉमरेड भोयर ने कहा कि बिजली संशोधन विधेयक 2022 किसानों को तबाह कर देगा, क्योंकि पंप सेटों के लिए तय की गई बिजली की दरों की वजह से बिजली अधिकांश किसानों की पहुंच से बाहर हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि मज़दूरों को उनके वेतन और अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और आजीविका की सुरक्षा से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने हमारी आजीविका और अधिकारों पर हो रहे चौतरफा हमलों का विरोध करने के लिए मज़दूरों और किसानों के एक शक्तिशाली एकजुट आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने केवल यही एक रास्ता है जिससे हम संकट को और भी गहरा होने से रोक सकेंगे और इसके समाधान की दिशा में कुछ कर सकेंगे।

डॉ. दिनेश अबरोल ने एक बहुत ही विस्तृत पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से कृषि संकट से निपटने में किसान आंदोलन के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि देश का एजेंडा बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। देश के सभी क्षेत्रों के किसानों से उनके सुझावों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि किसानों के सभी हिस्सों – जैसे कि महिलाओं, किरायेदारों, कृषि में लगे ग्रामीण मज़दूरों, पशुपालकों, वनवासियों और मछुआरों के सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए – जब लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए योजनायें बनाई जाती हैं। बड़े कॉरपोरेट घराने, विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीकों – सेंसर, ड्रोन, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आदि में निवेश करने में सक्षम हैं – और इस प्रकार वे अपने कृषि उत्पादन को एक व्यक्तिगत किसान के उत्पादन से कहीं अधिक बढ़ा सकते हैं।

वर्तमान व्यवस्था, अधिकांश किसानों को तबाह करके बड़े कॉरपोरेट्स के लिए अधिकतम मुनाफ़े सुनिश्चित करने के लिए बनाई गयी है। बिजली संशोधन विधेयक 2022 की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसानों को सिंचाई के लिए पानी खींचने वाले पंप सेट को संचालित करने वाली ज़रूरी बिजली की क़ीमत के कारण बिजली को उनकी पहुंच के बाहर कर देगा।

इस संकट को हल करने के लिए सब्सिडी की दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरक और कीटनाशकों जैसी कृषि के लिये आवश्यक वस्तुयें सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। कई क्षेत्रों में सिंचाई महत्वपूर्ण है जो लगभग पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। किसानों को अपने उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने के लिए उन्नत वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों से अवगत कराने की आवश्यकता है। राज्य को सभी क्षेत्रों में और सभी फ़सलों के लिए इसे सुनिश्चित करना चाहिए। इसे कॉरपोरेट घरानों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। किसानों को सार्वजनिक ख़रीद केंद्रों और वहां पर अनाजों के लिये मिलने क़ीमतों की जानकारी भी होनी चाहिए ताकि वे उन केन्द्रों पर अपनी उपज बेच सकें। उन्होंने फ़सल बीमा के महत्व और मनरेगा को मजबूत करने, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, भूमि उपयोग, मिट्टी तथा जल संरक्षण और कृषि श्रमिक कल्याण में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय समितियों की ज़िम्मेदारियों के बारे में भी बात की।

प्रो. बी. सेठ ने कृषि के संकट के कुछ कारणों के बारे में बताया। उन्होंने जिन मुख्य कारणों पर प्रकाश डाला, उनमें से एक है राज्य द्वारा व्यापक योजना का अभाव, कि किस क्षेत्र में कितनी फ़सल उगाई जानी चाहिए, उपज का भंडारण, परिवहन और कैसे किसानों से ख़रीद की जाएगी, इत्यादि। बड़ी पूंजीवादी इजारेदार कंपनियां किसानों से कम दामों पर उपज को ख़रीदती हैं। अपने विशाल भंडारण और परिवहन सुविधाओं का उपयोग करके, वे सट्टेबाजी और वायदा–व्यापार के ज़रिये, विभिन्न उत्पादों की मांग और आपूर्ति में हेराफेरी करती हैं तथा वे उत्पादों को तभी बेचती हैं जब बाज़ार में इन उत्पादों की क़ीमतें बढ़ जाती हैं और इस प्रकार बेशुमार मुनाफ़े बनाती हैं। इससे खाद्य पदार्थों की क़ीमतों में बहुत उतार–चढ़ाव होता है। उन्होंने बताया कि एफ.सी.आई. के गोदामों में खाद्यान्न का बड़ा बफर स्टॉक भी क़ीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव को रोकने में असफल रहा है। एक तरफ, एफ.सी.आई. के गोदामों में अनाज सड़ता है, जबकि आम लोगों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती – हिन्दोस्तान में करोड़ों लोग भूख और कुपोषण का शिकार हैं।

अधिकांश छोटे और मध्यम दर्ज़े के किसानों के लिए बाज़ार की क़ीमतों में उतार–चढ़ाव विनाशकारी होता है। किसानों के पास कोई साधन नहीं है, जिसके ज़रिये वे यह तय कर सकें कि उन्हें किस फ़सल की कितनी पैदावार करनी चाहिए; भंडारण और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें अपनी उपज को कौड़ियों के दाम पर बेचने या सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। किसान अपनी फ़सल को बेचकर, अपनी फ़सलों की लागत को निकाल पाने में सक्षम नहीं हैं और इसलिए वे गहरे क़र्ज़ में डूबे हुए हैं।

प्रो बी. सेठ ने बताया कि कृषि के संकट का समाधान देश के सभी हिस्सों को शामिल करते हुए, राज्य द्वारा कृषि के लिए एक व्यापक योजना बनाने में निहित है। राज्य की व्यापक योजना में कृषि के लिये आवश्यक लागत वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध हों, लाभकारी क़ीमतों पर सार्वजनिक ख़रीद की गारंटी हो, साथ ही एक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का इंतजाम भी करना चाहिए, जो सभी लोगों के लिए, अच्छी गुणवत्ता, पर्याप्त मात्रा और सस्ती क़ीमत पर खाद्यान्न और उपभोग की सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे। इस योजना में सभी किसानों की उपज के लिए सार्वजनिक भंडारण और परिवहन सुविधाओं की सुलभता भी शामिल होनी चाहिए। इसमें फ़सल बीमा और फ़सल को होने वाले नुक़सान से बचाने के लिये सुरक्षा के उपाय शामिल होने चाहिएं।

अंत में प्रोफेसर सेठ ने निष्कर्ष बताते हुये, इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसी योजना तभी लागू की जा सकती है, जब बड़े इजारेदार पूंजीपतियों के केवल एक छोटे से अल्पसंख्यक तबके के हितों की सेवा करने के बजाय, मज़दूरों और किसानों के पास विशाल बहुसंख्य आबादी के हित में निर्णय लेने और अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्देशित करने का अधिकार हो।

आमंत्रित वक्ताओं के बाद, कई सहभागियों ने अपने विचार रखने के लिए हस्तक्षेप किया। इनमें किसान आंदोलन के कार्यकर्ता, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिलाएं, निजीकरण का

शेष पृष्ठ 3 पर

1984 के नरसंहार के सबक (पृष्ठ 1 का शेष)

साल बाद, आज भी वह घटना रहस्यों से घिरी हुई है। उनकी हत्या से यह स्पष्ट हो गया कि सत्तारूढ़ हलकों के अन्दर आपसी अंतर्विरोध इतने तीव्र हो गए थे कि हत्या ही उन्हें हल करने का एकमात्र तरीक़ा रह गया था। किसने हत्या को आयोजित किया और क्यों, इन पर पूरी–पूरी जांच होनी चाहिए थी। हुक्मरान हत्या के लिए एक समुदाय को दोषी ठहरा कर और जनसंहार को अंजाम देकर, उन सवालों के जवाब देने से आसानी से बच गये। पिछले 38 सालों में किसी भी सरकार ने हत्या या उसके बाद हुए जनसंहार के पीछे की सच्चाई को सामने नहीं लाया है।

पिछले 38 वर्षों से इस सच्चाई के छुपाये जाने में, हुक्मरान वर्ग और उसकी पूरी राज्य मशीनरी की भूमिका साफ़–साफ़ दिखती है। कांग्रेस पार्टी और उस समय सत्ता के प्रमुख पदों पर बैठे हुए अधिकारियों ने उस जनसंहार को अंजाम दिया था, लेकिन जनसंहार को सम्पूर्ण हुक्मरान वर्ग के हितों के लिए आयोजित किया गया था। हुक्मरान वर्ग ने अपने बीच के आपसी अंतर्विरोधों को हल करने और मज़दूर वर्ग व मेहनतकश जनता की एकता को तोड़ने के लिए जनसंहार का आयोजन किया था।

1984 के जनसंहार ने दिखाया कि हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग अपने शासन को बनाए रखने के लिए, देश के लोगों के ख़िलाफ़ सबसे जघन्य अपराध करने को भी तैयार है। इसकी पुष्टि इस हक़ीक़त से होती है कि पिछले 38 सालों के दौरान, राजकीय आतंकवाद को सुनियोजित तरीक़े से बढ़ाया जाता रहा है और राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा के कांड बार–बार होते रहे हैं।

1992 में बाबरी मस्जिद के विनाश के बाद सांप्रदायिक आतंक, 2002 में गुजरात में मुसलमानों का जनसंहार और कई अन्य भयानक कांडों को सत्तारूढ़ पार्टियों की पूर्ण भागीदारी और राज्य मशीनरी की सक्रिय तैनाती के साथ अंजाम दिया गया है।

पिछले 38 सालों में, हमारे लोगों का यह अनुभव रहा है कि जो लोग सांप्रदायिक जनसंहार आयोजित करते हैं और हमारे लोगों की एकता पर हमला करते हैं, उन्हें कोई सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि उन्हें राज्य में सर्वोच्च पदों पर बिठाया जाता है। दूसरी ओर, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों को “आतंकवादी” और “राष्ट्र–विरोधी तत्व” करार दिया जाता है। कई ऐसे लोग फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में मारे गए हैं। इंसाफ के लिए संघर्ष करने वाले हज़ारों–हज़ारों लोगों को टाडा, पोटा और यू.ए.पी.ए. जैसे फासीवादी क़ानूनों के तहत, सालों–सालों तक जेल में बंद रखा गया है।

सरमायदार वर्ग की राजनीतिक पार्टियां, जिनमें भाजपा और कांग्रेस पार्टी लोगों की भावनाओं को भड़काती हैं, ताकि मज़दूरों और किसानों की एकता को तोड़ा जा सके। ऐसी पार्टियां मिलकर मज़दूरों और किसानों पर पूंजीपति वर्ग की हुकूमत की रक्षा करती हैं। वे सभी इसी व्यवस्था के अटूट हिस्से हैं, जिसमें सरमायदार मतदान के माध्यम से और मेहनतकश जनता के ख़िलाफ़ हिंसा छेड़कर शासन करता है। ऐसी पार्टियां राज्य की मशीनरी पर नियंत्रण करने और पूंजीपति वर्ग के एजेंडे को लागू करने के लिए, एक दूसरे के साथ स्पर्धा करती हैं।

राजकीय आतंकवाद और साम्प्रदायिक हिंसा का निशाना हमारे देश का मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनता है। उसका उद्देश्य हमारी एकता को तोड़ना और अधिकारों के लिए हमारे संघर्ष को कुचलना है।

जो लोग इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि 1984 का जनसंहार एक विचलन था, वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे भाजपा के साथ कांग्रेस पार्टी की प्रतिद्वंद्विता में, लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने के लिए आह्वान करने की अपनी लाइन को सही ठहराना चाहते हैं। वे यह बता रहे हैं कि सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा का स्रोत एक विशेष राजनीतिक पार्टी, यानि भाजपा है, न कि संपूर्ण हुक्मरान वर्ग। यह एक ऐसा विचार है जो सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ संघर्ष को एक अंधी गली में ले जाकर गुमराह कर देगा ।

सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा और सभी प्रकार के राजकीय आतंकवाद का स्रोत इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में पूंजीपति वर्ग की हुकूमत में है। इसलिए सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा को समाप्त करने का संघर्ष केवल सरकार संभालने वाली राजनीतिक पार्टी को बदलने से विजयी नहीं होगा।

एक ऐसा विचार दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित सिखों का जनसंहार एक विचलन था। विचलन का शब्दकोश अर्थ “व्यवहार के विशिष्ट या सामान्य तरीक़े से एक अस्थायी परिवर्तन” है। सिखों का जनसंहार कोई विचलन नहीं था। इसे एक विचलन मानना गंभीर भूल होगी।

जो लोग इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि 1984 का जनसंहार एक विचलन था, वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे भाजपा के साथ कांग्रेस पार्टी की प्रतिद्वंद्विता में, लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने के लिए आह्वान करने की अपनी लाइन को सही ठहराना चाहते हैं। वे यह बता रहे हैं कि सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा का स्रोत एक विशेष राजनीतिक पार्टी, यानि भाजपा है, न कि संपूर्ण हुक्मरान वर्ग। यह एक ऐसा विचार है जो सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ संघर्ष को एक अंधी गली में ले जाकर गुमराह कर देगा ।

राजकीय आतंकवाद और साम्प्रदायिक हिंसा का निशाना हमारे देश का मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनता है। उसका उद्देश्य हमारी एकता को तोड़ना और अधिकारों के लिए हमारे संघर्ष को कुचलना है। सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, हमें सबके अधिकारों की हिफ़ाज़त के लिए, सभी शोषित और उत्पीड़ित लोगों तथा सभी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताक़तों की राजनीतिक एकता को बनाना और मजबूत करना होगा। ‘एक पर हमला सब पर हमला’, इस असूल को बनाए रखना और लागू करना आवश्यक है।

राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक को हमेशा के लिए तभी समाप्त किया जा सकता है, जब सरमायदारों की हुकूमत को मज़दूरों और किसानों की हुकूमत में बदल दिया जाएगा। वर्तमान राज्य की जगह पर एक ऐसे नए राज्य की स्थापना करनी होगी, जो सभी नागरिकों को जीने का अधिकार, ज़मीर का अधिकार और अन्य सभी मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी देगा। ऐसा राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि किसी के विचारों के आधार पर, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। जो कोई भी इस तरह का भेदभाव करेगा, उसे तुरंत और कड़ी सज़ा दी जायेगी, चाहे सरकारी प्रशासन में उसका कोई भी दर्ज़ा हो।

राज्य द्वारा आयोजित सिखों के भयानक जनसंहार की 38वीं वर्षगांठ के अवसर पर, आइए, हम राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और आतंक के ख़िलाफ़ संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। आइए, हम सभी के लिए सुख और रक्षा सुनिश्चित करने के लिए बचनबद्ध, एक नए राज्य की स्थापना के लक्ष्य के साथ संघर्ष को आगे बढाएं ।

http://hindi.cgpi.org/22695

1984 के जनसंहार को आयोजित करने और अंजाम देने की गतिविधियां

सिखों के जनसंहार की योजना 31 अक्तूबर, 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या से काफी पहले से ही तैयार की गई थी।

तीन साल से अधिक समय तक मीडिया में सिखों पर यह इलज़ाम लगाते हुए खूब प्रचार किया जाता रहा, कि वे आतंकवादी हैं जो हिन्दोस्तान को नष्ट करने वाले हैं। केन्द्र सरकार में बैठी कांग्रेस पार्टी ने उस सांप्रदायिक अभियान को अगुवाई दी थी।

जनसंहार की तैयारी के लिए, सिख परिवारों की पहचान करने वाली मतदाता सूचियां लेकर रखी गई थीं, ताकि सही समय आने पर उन्हें बांटा जा सके। रबड़ के टायरों के साथ–साथ, मिट्टी के तेल से भरे कनस्तर भी जमा करके रखे हुए थे।

जैसे ही श्रीमती गांधी की हत्या हुई, वैसे ही इस योजना को अमल में लाया गया। मीडिया में जानबूझकर यह अफ़वाह फैलाई गयी कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों ने की थी। दिल्ली में अफ़वाहें फैलाई गईं कि सिख उनकी हत्या का जश्न मनाने के लिए मिठाई बांट रहे थे और सिखों ने दिल्ली के पानी की सप्लाई में ज़हर मिला दिया था।

कांग्रेस पार्टी के नेता एम्स के सामने इकट्ठे हुए, जहां श्रीमती गांधी की लाश पड़ी थी, और ‘खून का बदला खून’ का भड़काऊ नारा लगाया। यह नारा दूरदर्शन टीवी पर बार–बार सुनाया–दिखाया गया।

1 नवंबर के तड़के से कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली की सड़कों पर खून के प्यासे क़ातिलाना गिरोहों का नेतृत्व किया। सिखों को पीटा गया, उन पर मिट्टी का तेल डाला गया, उनके ऊपर रबड़ का टायर डाल कर आग लगा दी गई। सिखों के घरों पर हमला किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, पुरुषों और लड़कों की हत्या की गई, उनके घरों और दुकानों को लूटा गया और फिर उनमें आग लगा दी गई। पुलिस मूकदर्शक बनकर देखती रही और क़ातिलाना गिरोहों को प्रोत्साहित करती रही।

कृषि का संकट ...

पृष्ठ 2 का शेष

विरोध करने वाले बिजली कर्मचारी और रेलवे कर्मचारी, फीस वृद्धि और शिक्षा के निजीकरण के ख़िलाफ़ आंदोलन करने वाले युवा और छात्र, अपने मूल किसान जीवन और गांव में अपने परिवारों की स्थिति के बारे में बात करने वाले मज़दूर भी शामिल थे।

निष्कर्ष में, संतोष कुमार ने ज़ोर देकर कहा कि कृषि के संकट का समाधान राज्य की एक व्यापक योजना में निहित है, जिसमें यह योजना भी शामिल है कि किन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में फ़सल उगाई जानी चाहिए। राज्य को कृषि की सभी आवश्यक लागत वस्तुओं की सस्ती क़ीमतों पर उपलब्धता, उपज के लिए भंडारण और परिवहन सुविधाएं, लाभकारी क़ीमतों पर सार्वजनिक ख़रीद और फ़सल को होने वाले नुक़सान से बचाने के लिये उपाय सुनिश्चित करने होंगे। इसके साथ एक सर्वव्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी ज़रूरत है, जो सभी खाद्य पदार्थों और उपभोग की अन्य आवश्यक वस्तुओं को लोगों के लिए उपलब्ध कराएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि इजारेदार पूंजीवादी एजेंडे को ख़त्म करने के लिये और राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेने के संघर्ष में मज़दूर और किसान एकजुट हों। तब वे पूरी अर्थव्यवस्था को मुट्ठीभर इजारेदार पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़ों को पूरा करने के बजाय, बहुसंख्यक लोगों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने की ओर उन्मुख कर सकते हैं।

http://hindi.cgpi.org/22684

पाठकों की प्रतिक्रिया

हिन्दोस्तान की विकास गाथा का जनसमूह से कोई वास्ता नहीं है

संपादक, मजदूर एकता लहर

श्रीमान,

मैं 15 अक्टूबर की मीडिया रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहती हूं, कि हिन्दोस्तान 121 देशों के वैश्विक भूख सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स या जी.एच.आई.) 2022 में 107 वें स्थान पर है। इसका स्थान पड़ोसी देशों – पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से भी नीचे है। दक्षिण एशियाई देशों में केवल अफ़ग़ानिस्तान ही है जिसका स्थान हमसे नीचे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिन्दोस्तान 2021 के बाद से छः स्थान नीचे चला गया है। हिन्दोस्तान में अत्याधिक कुपोषण के कारण बच्चों जीवन की बर्बादी की दर दुनिया में सबसे ऊंची है। जी.एच.आई. के 29.1 अंकों के साथ, हिन्दोस्तान में भूख के स्तर को "गंभीर" बताया गया है।

केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को तुरंत ख़ारिज कर दिया है। सरकार ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है और इसे देश की छवि को ख़राब करने की अंतर्राष्ट्रीय साज़िश का हिस्सा बताया है।

इस साल सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि हिन्दोस्तान ब्रिटेन को पछाड़कर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के मामले में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ेगी।

आई.एम.एफ. की रिपोर्ट को सरकार, मीडिया और कॉरपोरेट घरानों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। यह रिपोर्ट हिन्दोस्तान के "5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था" बनने की दिशा में सरकार के बहुप्रचारित सपने के साथ फिट बैठती है।

सरकार ने विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्टों में दिये इस तथ्य को उजागर नहीं किया कि हिन्दोस्तान दुनिया की शीर्ष 25 अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. के मामले में अंतिम स्थान पर है। मुद्दा यह है कि हिन्दोस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, क्योंकि हिन्दोस्तान की जनसंख्या चीन के अलावा अधिकांश देशों की जनसंख्या से कहीं अधिक है। यह देखते हुए कि हिन्दोस्तान में बड़ी संख्या में अरबपति हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. बेहद कम है जो हिन्दोस्तान में मौजूद व्यापक ग़रीबी को इंगित करता है।

सरकार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के ऐसे अनुमानों से बहुत खुश होती है जब वे हिन्दोस्तान को दुनिया में एक बड़े आर्थिक इंजन के रूप में और हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपतियों को दुनिया में सबसे बड़े होने का चित्रण करते हैं। सरकार यह समझाने में लगातार विफल रही है कि इतनी विशाल और बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद, आबादी के आधे से बहुत अधिक लोगों के लिए इतनी व्यापक भूख, कुपोषण और गरीबी क्यों है। जबकि सरकार और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में डींगें मारने से नहीं थकती हैं, लोगों की यह स्थिति साल–दर–साल बदतर होती जा रही है।

सरकार और मीडिया जिस वृद्धि का जश्न मना रहे हैं, वह सबसे बड़े हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीवादी घरानों के मुनाफ़े में वृद्धि है, जिनमें से कुछ आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे हैं। इनकी अमीरी टपक कर जनसमूह के लिए विकास करने में असफल है।

इसके विपरीत, इजारेदार पूंजीवादी घरानों की दौलत की वृद्धि, जिसका जश्न मनाया जा रहा है, जनसमूह को नीचे धकेलने के कारण है। पूंजीवादी घरानों का विकास जनता के तीव्र शोषण व दरिद्रता तथा उनके अधिकारों को कुचलने पर आधारित है।

श्रीलता

भोपाल, मध्य प्रदेश

कृषि के संकट पर आयोजित ज़ूम मीटिंग

संपादक महोदय,

मैंने मज़दूर एकता लहर में ज़ूम मीटिंग की रिपोर्ट को पढ़ा, जिसका विषय था 'कृषि का संकट और उसका समाधान'। इस ज़ूम मीटिंग में किसान संगठनों के नेताओं, मज़दूर यूनियनों के नेताओं तथा समाज के अन्य शुभचिन्तकों ने अपने विचार दिये।

सभी लोगों के विचार को मैंने पढ़ा, इससे समझ में आता है कि सभी मेहनतकश लोगों की समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चाहे वह किसानों की समस्या हो या फिर मज़दूरों की। मीटिंग में पेश किये गये विचार देश में चल रहे आंदोलनों और संघर्षरत लोगों को, लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने की दिशा में बढ़ने के लिये प्रेरित करते हैं। इसीलिये मैं समझता हूं कि ऐसी मीटिंगों की रिपोर्ट आपके पेपर में शामिल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके माध्यम से मैं मज़दूर एकता कमेटी की तारीफ़ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह की खुली मीटिंग आयोजित करने में पहल की और स्वस्थ विचार–विमर्श करने का एक मंच उपलब्ध कराया। अगर ऐसी ज़ूम मीटिंगें लगातार चलायी जायें तो वे मज़दूरों और किसानों को एक दूसरे की समस्याओं को समझने में सहायक हो सकती हैं।

हमारे देश के सरमायदार वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टियां मज़दूरों और किसानों को बांट कर रखना चाहती हैं और सरमायदारों के मुनाफ़ों को सुनिश्चित करना चाहती हैं। यह ज़ूम मीटिंग एक माला की भांति सभी मेहनतकशों को एक धागे में पिरोकर एकजुट करने का काम कर रही है।

कृषि का संकट सिर्फ किसानों का संकट नहीं है, यह पूरे देश का संकट है। अगर किसान अनाज का उत्पादन नहीं करेगा तो समाज ज़िन्दा नहीं रह सकता। किसान सिर्फ अन्न दाता ही नहीं है वह जीवन दाता भी है। कृषि के संकट का समाधान खोजना देश के मज़दूरों, किसानों, शिक्षकों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों, नौजवानों, महिलाओं और सभी लोगों की ज़िम्मेदारी है।

अंत में मैं मज़दूर एकता कमेटी एक ऐसा मंच बना रही है जहां पर समाज के हर तबके से लोग आते हैं और कृषि के संकट का समाधान को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास जारी रहा तो हम कृषि को पूंजीपति वर्ग के चंगुल से ज़रूर बचा सकते हैं और पूरे समाज को भोजन मुहैया करवा सकते हैं।

धन्यवाद

सोहन सिंह, दिल्ली

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का प्रकाशन

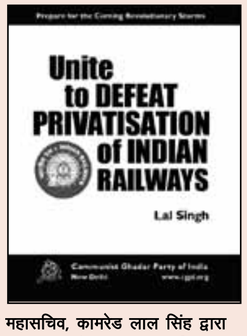

यह पुस्तिका कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह द्वारा 13 मई, 2018 को दिल्ली में पार्टी की एक सभा में प्रस्तुत की गई थी।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

पृष्ठ 1 का शेष

वाहनों की बिक्री अधिक है, लेकिन दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट आई है, खाद्य पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत में कमी आई है और बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है।

इस वास्तविकता के बावजूद, सरकार पिछले वर्ष 2021–22 के लिए रिपोर्ट की गई विकास दर के बारे में शेखी बघारती रही है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 के दौरान अर्थव्यवस्था में 8.7 प्रतिशत का विस्तार हुआ है। लेकिन हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि पिछले वर्ष कोविड–19 महामारी के कारण यह वृद्धि बहुत कम आधार पर थी। जीडीपी के लिहाज से तीन साल पहले की तुलना में अर्थव्यवस्था महज 3.8 फीसदी ज्यादा है।

सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए ऊंची विकास दर का अनुमान लगा रही है, लेकिन वर्ष की शुरुआत में बजट के बाद से हर 2–3 महीने में इसे नीचे की ओर संशोधित करना पड़ा है। जून 2022 में सरकार ने जनवरी 2022 की 9 प्रतिशत से अधिक की अतिशयोक्तिपूर्ण ऊंची दर को केवल 7 प्रतिशत से अधिक की दर में कम कर दिया था। नवीनतम अनुमानों ने एक बार फिर से विकास की संभावनाओं को कम कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विकास के अनुमान को 7.2 प्रतिशत के पहले के अनुमान से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है, जबकि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अनुमान लगाया है कि हिन्दोस्तान की आर्थिक वृद्धि घटकर 5.7 प्रतिशत रह जाएगी।

ठीक एक सप्ताह पहले, 1 अक्तूबर, 2022 को वित्त मंत्री ने दावा किया कि हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था को दुनियाभर में एक "प्यारी जगह" के रूप में देखा जाता है! हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में प्रचार और सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए हिन्दोस्तानी बाज़ार के विशाल आकार का उपयोग हिन्दोस्तान को दुनिया के पूंजीपतियों के लिए "अच्छे निवेश गंतव्य" के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

विकास के प्रचार के बावजूद सच्चाई यह है कि हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था एक और संकट की ओर बढ़ रही है। उपभोग के लिए वस्तुओं की मांग में बड़े पैमाने पर ठहराव आ गया है क्योंकि बहुसंख्य कामकाजी लोग बहुत अधिक ग़रीब हैं। न तो हिन्दोस्तानी और न ही विदेशी पूंजीपति अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को केवल निर्यात पर क़ायम नहीं रखा जा सकता, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब दुनियाभर के कई देशों में मंदी की स्थिति हो।

विकास के प्रचार के बावजूद सच्चाई यह है कि हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था एक और संकट की ओर बढ़ रही है। उपभोग के लिए वस्तुओं की मांग में बड़े पैमाने पर ठहराव आ गया है क्योंकि बहुसंख्य कामकाजी लोग बहुत अधिक ग़रीब हैं। न तो हिन्दोस्तानी और न ही विदेशी पूंजीपति अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को केवल निर्यात पर क़ायम नहीं रखा जा सकता, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब दुनियाभर के कई देशों में मंदी की स्थिति हो।

दुनिया भर में पूंजीवाद गंभीर संकट में है और हिन्दोस्तान भी इससे अछूता नहीं है।

http://hindi.cgpi.org/22667

यूरोप में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन

आर्थिक संकट और अपनी रोज़ी–रोटी पर बढ़ते हमलों के ख़िलाफ़ पूरे यूरोप में मज़दूर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेहनतकशों के जीवन को नरक बना रही ऊर्जा की क़ीमतों में भारी वृद्धि के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहे हैं।

पूरे यूरोप में मज़दूर उस युद्ध का विरोध कर रहे हैं, जिसे नाटो अमरीका के नेतृत्व में यूक्रेन की रक्षा के नाम पर रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। अमरीका के दबाव में आकर यूरोपीय संघ के देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वालों की कतार में अमरीका के साथ शामिल हो गए हैं। गैस ख़रीदना बंद करना, इन प्रतिबंधों का एक हिस्सा है। रूस पर लगे प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप गैस की क़ीमतों में भारी वृद्धि ने यूरोपीय संघ के देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। अपना विरोध प्रकट करने के लिए मेहनतकश जनता सड़कों पर उतर रही है। सितंबर से ये विरोध प्रदर्शन तेज़ हो रहे हैं।

फ्रांस के मज़दूरों ने अधिक वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया

सूचना है कि विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के लगभग 1,00,000 मज़दूरों ने 18 अक्तूबर को पूरे फ्रांस के कई शहरों में लड़ाकू विरोध प्रदर्शन किए हैं। सिर्फ राजधानी पेरिस में हुये विरोध जुलूस में 70,000 से अधिक मज़दूरों के शामिल होने की सूचना है।

तेल रिफाइनरियों के मज़दूरों ने कई हफ्तों तक काम को छोड़कर विरोध प्रकट किया, और उसके बाद उच्च वेतन के लिए मज़दूर यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल का प्रतिनिधित्व किया। परिवहन मज़दूर शिक्षक, खाद्य उद्योग के मज़दूर, सार्वजनिक अस्पतालों के मज़दूर, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के मज़दूर और कई अन्य उद्योगों और सेवाओं के मज़दूर हड़ताल में शामिल हुए।

फ्रांस में मुद्रास्फीति की दर 6.2 प्रतिशत हो गई है, कई दशकों में हुई बढ़ोतरी में सबसे अधिक है। इसलिए हड़ताली मज़दूर जीवनयापन के लिये होने वाले बढ़ते खर्च से निपटने के लिये, अपने वेतन में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की मांग कर रहे हैं। मज़दूरों का कहना है कि ऊर्जा कंपनियां तेल और गैस की ऊंची क़ीमतों से भारी मुनाफा कमा रही हैं, क्योंकि यूक्रेन में चल रहा युद्ध ऊर्जा के संकट को बढ़ा रहा है।

हड़ताल ने पेरिस तथा फ्रांस के अन्य प्रमुख शहरों में रेल सेवाओं, मेट्रो रेल सेवाओं, उपनगरीय रेल सेवाओं और बस सेवाओं तथा अंतर–शहरीय रेल सेवाओं को ठप्प कर दिया, साथ ही साथ यूरोप में फ्रांस और पड़ोसी देशों के बीच चलने वाली हाई–स्पीड रेल सेवा यूरोस्टार की सेवाओं को भी पंगु बना दिया।

फ्रांस की सरकार ने कुछ तेल रिफाइनरियों के मज़दूरों को काम पर वापस आने के लिए मजबूर करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस ने कई जगहों पर हड़ताली मज़दूरों पर हमले किए हैं और कई मज़दूरों को गिरफ़्तार किया है।

पूरे ब्रिटेन में फिर से बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी के विरोध में संघर्ष

ब्रिटेन के मज़दूर अपनी आजीविका और अधिकारों पर पूंजीपतियों द्वारा किए जा रहे चौतरफा हमलों के विरोध में पूरे देश में हड़ताल संघर्ष के लिये आगे आ रहे हैं। "बस अब बहुत हो गया!" के नारे के तहत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

सार्वजनिक संपत्ति और सेवाओं के निजीकरण, जीवन यापन करने के लिये बढ़ते खर्च, मुद्रास्फीति और ऊर्जा की बढ़ती क़ीमतों के विरोध में मज़दूर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। नौकरी से निकाले जाने और वेतन में तेज़ी से हो रही कटौती के विरोध में रेल मज़दूर, कॉल सेंटर के मज़दूर, वकील, पत्रकार, सफाई मज़दूर, परिवहन मज़दूर और कई अन्य क्षेत्रों के मज़दूर विरोध प्रदर्शनों में सामने आ रहे हैं। वे सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा, जो राज्य की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, को इजारेदारों द्वारा अपने हाथ में लेने का विरोध कर रहे हैं।

इटली

इटली से भारी विरोध प्रदर्शन की ख़बर है। लोग अपने बिजली के बिलों का भुगतान करने से इनकार कर रहे हैं, जो कि 300–400 प्रतिशत तक बढ़ गया है और बिजली के बिलों को सार्वजनिक रूप से सड़कों पर जला रहे हैं।

चेक गणतंत्र

जीवन यापन की सेवाओं में कटौती करने और जीवन स्तर में गिरावट को दूर करने में सरकार की नाकामयाबी का विरोध करने के लिए 8 अक्तूबर को प्राग के वेन्सलास स्क्वायर पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। विरोध प्रदर्शनों का आयोजन चेक कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस द्वारा किया गया था। उन्होंने सरकार से खाद्य कीमतों, बुनियादी वस्तुओं, बिजली और गैस पर नियम लागू करने और न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने की मांग की।

इससे पहले 3 सितंबर को प्राग में 70,000 से अधिक लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि उनका देश नाटो और यूरोपीय संघ से बाहर हो जाए और अन्य देशों की बजाय, ऊर्जा की क़ीमतों को कम करने के लिए प्राकृतिक गैस सीधे रूस से ख़रीदे।

ऑस्ट्रिया

"क़ीमतें बढ़ाना बंद करो" बैनर के तले, ऑस्ट्रियाई ट्रेड यूनियन फेडरेशन विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला वियना की सड़कों पर आयोजित कर रहा है।

मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामयाबी पर संघर्षरत कार्यकर्ता अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। वे सर्दियों में अपने घरों को गरम रखने के खर्च को सीमित करने, किराने के सामान और सार्वजनिक परिवहन सेवा की टिकटों पर वैट को खत्म करने तथा ईंधन पर लगने वाले टैक्स को कम करने और किराए पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।

जर्मनी में मज़दूरों ने युद्ध का और ऊर्जा की बढ़ती क़ीमतों का विरोध किया

ऊर्जा की बढ़ती क़ीमतों के विरोध में और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के ख़िलाफ़ डसेलडोर्फ, बर्लिन, कोलोन और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने उर्जा के संकट के लिए रूस को दोषी ठहराने वाली जर्मन सरकार की निंदा की है। इस समय जर्मन सरकार नॉर्ड स्ट्रीम–2 प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन को प्रमाणित करने और उसे लॉन्च करने से इनकार कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने हथियारों की आपूर्ति करके युद्ध में भाग लेने और रूस पर अमरीका के नेतृत्व में लगाये जाने वाले प्रतिबंधों में भागीदारी करने के लिए अपनी सरकार की आलोचना की है।

यूक्रेन को हथियारों का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर कासेल में विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन करने वाले मज़दूरों ने हथियार बनाने वाले कारखाने, राइनमेटॉल और टैंक बनाने वाले कारखाने क्रॉस–माफेई वेगमैन के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और युद्ध से भारी मुनाफ़ा बनाने के लिये इनकी निंदा की। कई विरोध कार्रवाइयों ने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया है कि जर्मनी के लोग अर्थव्यवस्था के बढ़ते सैन्यीकरण से बेहद चिंतित हैं। वे मांग कर रहे हैं कि जर्मनी को नाटो को भंग करने के लिए आगे आना चाहिए तथा चीन और रूस के युद्ध के खतरों को रोकना चाहिये।

http://hindi.cgpi.org/22686

मज़दूर एकता लहर
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय कमेटी का अखबार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23
LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23
Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Nov, 2022 Date of publish - 1 Nov, 2022

To ....
....
....
....
....
....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020 email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

निजीकरण के ख़िलाफ़ पुदुचेरी के बिजली मज़दूरों का संघर्ष

पुदुचेरी के बिजली विभाग के मज़दूरों ने निजीकरण के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई में कुछ समय के लिये सफलता हासिल की है। केंद्र शासित प्रदेश के बिजली मंत्री से उन्हें आश्वासन मिला है कि फ़िलहाल बिजली वितरण के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

पुदुचेरी में बिजली का वितरण और बिजली की खुदरा आपूर्ति का 100 प्रतिशत निजीकरण करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा जारी किये जाने के एक दिन बाद ही विभाग के हजारों कर्मचारी 28 सितंबर, 2022 को हड़ताल पर चले गए। कार्यकर्ताओं ने तुरंत धरना शुरू कर दिया और पुलिस की भारी मौजूदगी के बावजूद 6 दिनों तक इस धरना को जारी रखा। आख़िर में, उनकी इस लड़ाई ने मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री को उनसे बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि निजीकरण की इस कार्यवाही पर पुनर्विचार किया जाएगा।

जून 2022 में जब पहली बार निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया था, उस समय भी विभाग के मज़दूरों ने निजीकरण के इस क़दम के ख़िलाफ़ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। मज़दूरों को हड़ताल वापस लेने के लिए कहते हुए, मुख्यमंत्री ने मज़दूरों को आश्वासन दिया था कि बिजली वितरण नेटवर्क को निजी कंपनी को सौंपने की कोई सहमति देने से पहले वे इन मज़दूरों से परामर्श करेंगे। सितंबर 2022 में निलामी के लिये बोलियां लगाने से पहले मज़दूरों से कोई परामर्श नहीं किया गया।

बातचीत के दौरान मज़दूरों ने अपनी दलीलें रखीं कि केंद्र शासित प्रदेश में बिजली आपूर्ति के निजीकरण का कोई आधार नहीं है। उन्होंने बताया कि पुदुचेरी का बिजली टैरिफ देशभर में लगभग सबसे कम है, उपभोक्ता भी संतुष्ट हैं और पुदुचेरी के बिजली विभाग को लाभ भी हो रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि यह केन्द्र शासित प्रदेश के हित में नहीं है कि विभाग की संपत्ति को सचमुच में एक निजी कंपनी को उपहार में दे दिया जाये, जैसा कि चंडीगढ़ में किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने निजीकरण की वैधता पर सवाल उठाया, जबकि बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 पर स्थायी समिति की रिपोर्ट तक नहीं आई है। यह याद किया जा सकता है कि इस विधेयक को 8 अगस्त को संसद में पेश किया गया था और इसे बिजली मामलों की स्थायी समिति को भेज दिया गया था।

इस बातचीत और मंत्री की घोषणा के बाद, पुदुचेरी इलैक्ट्रिसिटी वर्कर्स एक्शन कमेटी ने हड़ताल को अभी के लिए वापस लेने का फ़ैसला किया है। एक्शन कमेटी आंदोलन को आगे ले जाने की आवश्यकता की समीक्षा करेगी।

http://hindi.cgpi.org/22673

दिल्ली नगर निगम के सफ़ाई मज़दूरों का संघर्ष

दिल्ली के सफ़ाई मज़दूरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 14 अक्तूबर से हड़ताल शुरू की थी। यह हड़ताल 'एमसीडी समस्त यूनियन कोर कमेटी' के बैनर तले आयोजित की गई थी। इस कोर कमेटी में दिल्ली के सफ़ाई मज़दूरों की 8 यूनियनें शामिल हैं।

सफ़ाई मज़दूरों ने हड़ताल के दौरान झाड़ू लगाने और कूड़ा उठाने, जैसे मुख्य कामों और कई अन्य कामों को रोक दिया। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने मजबूर होकर दो दिन के बाद ही मज़दूरों की मांगों को लेकर चर्चा करने के लिये उनके प्रतिनिधियों को बुला लिया। कुछ मांगों को पूरा करने के अधिकारियों के आश्वासन के बाद, मज़दूरों ने तत्कालीन तौर पर हड़ताल समाप्त कर दी। उन्होंने फ़ैसला किया है कि संपूर्ण मांगों के पूरा होने तक वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे।

संघर्ष कर रहे सफ़ाई मज़दूरों ने मज़दूर एकता लहर को बताया कि दिल्ली नगर निगम में 15,000 से अधिक सफ़ाई मज़दूर 20 से भी अधिक सालों से दिहाड़ी मज़दूर की तरह काम कर रहे हैं। वे वर्षों से पक्की नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सफ़ाई कर्मचारियों को पिछले तीन सालों से दिवाली बोनस नहीं मिला है, पिछले पांच सालों से वर्दी नहीं मिली है, निगम की ओर से सुरक्षा उपकरण जैसे कि मास्क, दस्ताने, हेलमेट, आदि भी लंबे समय से मुहैया नहीं कराये गये हैं ।

दिहाड़ी पर काम करने वाले अस्थाई मज़दूरों को निगम की तरफ से सामाजिक सुरक्षा या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा नहीं दी जाती है। इन मज़दूरों को निगम द्वारा बहुत कम वेतन, मात्र 16,080 रुपये प्रति माह, पर रखा जाता है। दुर्घटना होने पर किसी भी प्रकार का मुआवज़ा उन्हें नहीं मिलता है। मृत्यु के बाद उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नौकरी, पेंशन आदि सुविधायें प्राप्त नहीं होतीं।

निगम में सफ़ाई मज़दूरों की भारी कमी है। झाड़ू लगाने वाले मज़दूरों के लिये उनके काम के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। सफ़ाई मज़दूरों की कमी के कारण, मौजूदा मज़दूरों पर काम का बोझ अत्याधिक बढ़ जाता है। इस कमी के कारण सफाई का काम भी प्रभावित होता है। सफ़ाई मज़दूरों को छुट्टी के दिनों पर भी जबरन काम पर बुलाया जाता है और उसके बदले किसी प्रकार का भत्ता भी नहीं दिया जाता।

संघर्षरत सफ़ाई मज़दूरों ने दिहाड़ी मज़दूरों की नौकरियों को नियमित किये जाने और उन्हें सभी सुविधाएं दिये जाने, बोनस का फ़ौरी भुगतान किये जाने, आदि की मांगें उठाई हैं। उनकी अन्य मांगों में शामिल है कि मज़दूरों की सभी पुरानी शिकायतों पर कार्यवाही की जाये तथा मृत मज़दूरों के आश्रितों को स्थाई नौकरी और लाभांश दिये जायें।

निगम के सफ़ाई मज़दूर काम की बदतर हालतों में सुधार और सुरक्षा की मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। उन्हें अधिकारियों ने बार–बार आश्वासन दिया है लेकिन उनकी मांगों की सुनवाई नहीं हुयी है।

उन्होंने घोषित किया है कि अगर निगम अधिकारियों ने दिए गए आश्वासनों को पूरा नहीं किया तो 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जायेगी।

http://hindi.cgpi.org/22665

मज़दूर एकता लहर के लेखों को सुनिये

चुनिंदा लेखों को सुनने के लिये हिन्दी वेबसाइट (www.hindi.cgpi.org) **पर जायें और ड्रॉपडाऊन मेनू या साइडबार में "लेखों को सुनें" पर क्लिक करें।**

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974, IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.- 9868811998, email: mazdoorektalehar@gmail.com